

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आ.ए.एस

क्रि. रीडर/2025/6890

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 20.08.25

1 कसुम्बीदेवी पत्नि
टीकमाराम 2 गणेशाराम 3
गोमदाराम 4 रुखाराम 5
लाखाराम पीसरान टीकमाराम
जाति जाट निवासी बाड़मेर
मगरा तहसील बाड़मेर ग्रीमण
जिला बाड़मेर।

अप्रार्थीगण

1 खेताराम पुत्र टीकमाराम 2 खेताराम 3
नारणाराम पिसरान पन्नाराम 4 अचलाराम
पुत्र खेमाराम 5 जोगाराम पुत्र हरजीराम
जाति जाट 6 मूलाराम 7 कुम्भाराम पिसरान
डालूराम 8 सौवताराम पुत्र छोंगाराम जाति
माली निवासी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 227/2025

दिनांक- 07/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर मगरा पटवार हल्का बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 2684/2289 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 2689/110 रकबा 1.2869 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक
हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

दिनांक- बाड़मेर
20.08.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6891-94

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्राथी कसुम्बीदेवी पत्नि टीकमाराम जाति जाट निवासी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रीमण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र टीकमाराम वगैराह जाति जाट निवासी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर